रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 147] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मार्च 16, 1972/फाल्गुन 26, 1893
No. 147] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 16, 1972/PHALGUNA 26, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 16th March 1972

S.O. 194(E)/IDRA/15/72.—Whereas the industrial undertaking known as the Assam Railway and Trading Company Ltd., is engaged in the scheduled industry, namely, Coal:

And whereas the Central Government is of the opinion that there is likely to be a substantial fall in the volume of production in respect of coal being produced by the said undertaking, for which, having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification;

And whereas the Central Government is further of the opinion that there is likely to be a rise in the price of coal produced by the said undertaking, for which there is no justification;

Now, herefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

1. Shri S. K. Bose Mining Adviser, Ministry of Steel and Mines (Department of Mines), New Delhi.
2. Shri S. V. Raman, Chief Cost Accounts Officer, National Coal Development Corporation Ltd., Ranchi.

[No. F.9(11)/Lic.Pol./72.]

S. K. SEHGAL, Jt. Secy

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1972

का० आ० 194(अ)/अ.ई०डी०आर०ए०/15/7 ——यतः असम रेलवे एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड के रूप मे ज्ञात औद्योगिक उपक्रम अनुसूचित उद्योग, अर्थात् कोयला में लगा हुआ है ।

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त उपक्रम द्वारा उत्पादन किए जाने वाले कोयले के बारे मे उत्पादन की मात्रा में साख न गिराकट हो संभाव्य है, जिसके लिए विद्यमान आर्थिक दशाओं को ध्यान मे रखत हुए कोई औचित्य नहीं है ;

यतः केन्द्रीय सरकार की ओर आगे यह भी राय है कि उक्त उपक्रम द्वारा उत्पादित कोयले की कीमत में वृद्धि होना सभाव्य है, जिसके लिए कोई औचित्य नहीं है ;

अतः, अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों मे पूर्ण जांच करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को मिलाकर एक व्यक्ति निकाय एतद्द्वारा नियक्त करती है :—

1. श्री एस० के० बोस, खनन सलाहाकार, इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग), नई दिल्ली ।
2. श्री एस० वी० रमन, मुख्य लागत लेखा अधिकारी, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची ।

[स० फा० 9(11)/लाई० पोल०/72]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव, ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972